an>

Title: Need to include people belonging to 'Dhangar' Caste in the list of Scheduled Tribes.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची में 36 नम्बर पर ओरेन, धनगड़ का उल्लेख है। हिंदी भाषा के उच्चारण के अनुसार धनगर और धनगड़ एक ही शब्द हैं, जो एक ही समाज के लिए उल्लिखित हैं। महाराष्ट्र में धनगर समाज की जनसंख्या लगभग 6 प्रतिशत है, यह समाज पूरी तरह एक संघ के रूप में रह रहा है। इतनी बड़ी संख्या में धनगर जनजाति होते हुए भी इस समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसरण में महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 के माध्यम से अधिसूचित की गई थी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 से उड़ीसा, बिहार और झारखंड राज्यों के संबंध में उनकी संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संसद ने धनगड़ को औरांव समुदाय के समकक्ष जनजाति के रूप में शामिल किया है। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सैंतालीस जनजातियां सूचीबद्ध हैं, "धनगड" के स्थान पर "धनगर" की उचित समकक्ष जाति को रखने के लिए लम्बे समय से मांग चली आ रही है और महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर महाराष्ट्र राज्य से संबंधित भाग 9 के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 की प्रविष्टि को संशोधित करने का प्रस्ताव भी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र राज्य की यह जनजाति अत्यंत पिछड़ी है और समाज में उचित स्थान एवं पहचान बनाने के लिए वर्षों से संघर्षरत है। महाराष्ट्र सरकार ने इस जाति के लोगों के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। यदि इस पिछड़ी जनजाति को भारत सरकार की ओर से आरक्षण मिल जाता है तो इन लोगों को मुख्यधारा में आने का अवसर मिलेगा और इनका विकास होगा।